

बिहार सूचना का अधिकार नियमावली-2006

प्रपत्र 'क'

(नियम 3 (1) देखें)

24

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई.डी.सं. 188/18-19

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,  
लोक सूचना पदाधिकारी  
(विभाग/कार्यालय)

1. आवेदक का नाम हीरामणी सिंह
2. पूरा पता बामपुर, चौक-चौबे के परसियां पीनकोड 802128 थाना-चक्सोई  
जि० वक्सर
3. मांगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)  
पथ निर्माण मंत्री जी से आग्रह है कि हम सब क्षेत्रीय जनता कल्याण रूप का सामना करते हैं जिसके लिए आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। दिलदार नगर से दिनारा पथ जो बहुत पुराना है, जिनका कार्यकुम केंचहर खुद तक पक्का करवा लो चुका है और पांच दब कि०मीटर रह गया है, जिनके चलते वारह कि०मी० जाना पड़ता है केंचहर खुद नदी में पुल का निर्माण लो चुका है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि केंचहर खुद से दिनारा तक पथ को पूर्ण करने की छुट्टया प्रदान करें ताकी वक्सर जिला खंड शेरतास जीलाका सम्पर्क-  
आवास नम-अपस में जुट सके

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।  
आपका विश्वासि  
क्षेत्रीय जनता

5. (1) मैंने ..... रुपये (शब्दों में) .....  
..... तिथि ..... का रसीद सं. ....  
..... से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।
- (2) मैं डिमाण्ड ड्राफ्ट/भुगतान देय सं. .... दिनांक .....  
जो ..... पदाधिकारी के पक्ष में ..... बैंक, द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।
- (3) मैंने ..... रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।
- (4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न हैं।

स्थान : आवेदक का हस्ताक्षर - हीरामणी सिंह  
ई-मेल पता, अगर कोई हो : मु० न० 9973016862  
दूरभाष संख्या (कार्यालय)  
तिथि : (आवास) :  
आवेदन का पत्राकार का पूरा पता : हीरामणी सिंह

नोट : गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का कोई फीस देय नहीं है।  
जो लागू नहीं है उसे काट दें।

मंत्री, पथ निर्माण विभाग,  
बिहार का कार्यालय कोषांग  
गै.सं.प्रे.सं. 1918 (350) (पीत पत्र के बदले में)  
दिनांक 20-08-18

निदेशानुसार श्री हीरामणी सिंह, रामपुर, पो0- चौबे के परसियां, जिला- बक्सर एवं श्री महेन्द्र प्रकाश यादव, ग्राम- बेलाडीह, पो0 माधोडी, थाना- हरपुर, जिला- मुंगेर से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त दो आवेदन मूल रूप में संलग्न है। दोनों ही आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना मंत्री कोषांग से संबंधित नहीं है।

अतः संलग्न आवेदन पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत समुचित कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

866 उप नि. क्र. 20/8/18

पवन कुमार सिन्हा  
20/8/18

(पवन कुमार सिन्हा)

मंत्री के आप्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सू. को.  
20-8-18

उप निदेशक (क्रय एवं परि०)-सह-  
लोक सूचना पदाधिकारी,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

श्री रजनीश जी  
20/8/18

854  
21/08/18

06

निपटारा  
शुभेश  
23/8/18

प्रपत्र 'घ'  
(सूचना उपलब्ध कराना)  
(नियम 4 (1) देखें)  
बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई0डी0सं0-188/18-19 5976(E) पटना, दिनांक 23.8.18  
प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,  
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)-सह-लो०सू०पदा०,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट सेवा में,

श्री हीरामणी सिंह,  
रामपुर, पोस्ट-चौवे के परसियां,  
थाना-धनसोई, जिला-बक्सर-802128

महाशय,

यह आपके सूचना आवेदन दिनांक-शून्य, जो माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के गै०स०प्रे०सं०-1918अनु० दिनांक-20.08.2018 द्वारा इस कोषांग में दिनांक-20.08.2018 को प्राप्त हुआ है (आई0डी0सं0-188/18-19) सूचना की माँग के लिए अनुरोध के प्रसंग में है।

2. आपके द्वारा याचित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-2(च) के तहत परिभाषित सूचना की श्रेणी में नहीं आता है। फलतः वांछित सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

कृपया सूचनार्थ प्रेषित !

विश्वासभाजन्,  
23/8/18  
(शैलेन्द्र कुमार)

पथ निर्माण विभाग,  
कम्प्यूटरीकृत निर्गत  
पंजीयन सं०  
दिनांक- 23/8/18